

## क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम— STI/RTI Training

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष— Training of Medical Officers in RTI/STI

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या— A.9.3.5.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण —

यौन संचारित संक्रमण और प्रजनन पथ के संक्रमण (एसटीआई/आरटीआई) भारत में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है । भारत में 6 प्रतिशत वयस्क जनसंख्या में से एक या एक से अधिक एसटीआई/आरटीआई से संक्रमित है । एसटीआई/आरटीआई नियंत्रित करने से एचआईवी संक्रमण दर को कम किया जा सकता है । एसटीआई/आरटीआई देखभाल सेवा की व्यवस्था करना एचआईवी संचरण को रोकने और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की रणनीति है ।

इसी संदर्भ में जिला स्तर पर स्वास्थ्य ईकाईयों के चिकित्सा पदाधिकारियों को एसटीआई/आरटीआई पर प्रशिक्षित किया जाना है । यह प्रशिक्षण इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व से प्रशिक्षण प्राप्त जिला स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा संपादित किया जाना है ।

इकाई राशि (रु० में)—

❖ 65000/— रु० प्रति बैच (प्रत्येक बैच में लगभग 50 प्रतिभागी होंगे)

जिला के चिकित्सा पदाधिकारियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण की विवरणी एवं आवंटित राशि

क्रम सं०	प्रशिक्षण हेतु व्यय होने वाले मद	इकाई राशि	प्रति बैच कुल व्यय राशि
10.	Venue Hiring	5000	5000
11.	Lunch	200	20000
12.	प्रतिभागियों के लिये फोल्डर, पेन, नोटपैड इत्यादि	200	10000
13.	TA	250	25000
14.	मिशलेनियस	5000	5000

वित्तीय दिशा निर्देश : जिला स्तर पर स्वास्थ्य ईकाईयों के चिकित्सा पदाधिकारियों को एसटीआई/आरटीआई पर दो दिवसीय प्रशिक्षित करने हेतु उपरोक्त सारणी के अनुसार व्यय किया जाना है । प्रत्येक जिला में 2 बैच में प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है एवं प्रत्येक बैच में लगभग 50 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे ।

इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या एवं तिथि :

(क)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम—डा० एन० के० मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर—9470003022

Stamas